

प्रपत्र:-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-पंचायत मुख्यालय, भाटा

प्रकरण सं.:-33/2018


क्रमांक:-लो.अदा./2018/1166

दिनांक:- 24.5.18

आदेश

वादी के वाद पत्र व पटवारी जूनामीठा खेड़ा एवं भू.अ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम भाटा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् क्रमशः 2071-2074 में खाता संख्या 89 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	भाटा	89	3	लाला पुत्र पुरखा	लाला उर्फ लालसिंह पुत्र पुरखसिंह <u>शेष बदुस्तर</u>



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 24.5.18



क्रमांक:-लो.अदा./2018/1167-1169

प्रतिनिधि:-

- तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
- प्रार्थी श्री लाला उर्फ लालसिंह पुत्र पुरखासिंह जाति पुरोहित निवासी भाटा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
- रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी